

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/से0नि0 / 2021/ दिनांक:-


-:: आदेश ::-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती) | पदस्थापन स्थान | जन्मतिथि | प्रथम नियुक्ति तिथि | सेवानिवृत्ति तिथि |
|---------|---|-------------------|------------|------------------------|-------------------|
| 1. | राजबेटी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | जयपुर द्वितीय | 18.04.1961 | 25.11.1992 | 30.04.2021 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-


- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/से0नि0 / 2021/04
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:-20/04/2021

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, एवं पदेन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई.एस.आई. योजना, लक्ष्मी नगर, जयपुर।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय राजस्थान।
11. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
13. आदेश/निजी पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर